प्रेस नोट

थाना रमाला दिनाँक 04.11.2026

थाना रमाला पर आबकारी अधिनियम के कुल 19 अभियोगों के माल मुकदमाती 63 लीटर अवैध शराब को नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही-

दिनांक 04.11.2026 को मा0 न्यायालय के आदेशानुसार थाना रमाला पर वर्ष 2025-26 के आबकारी अधिनियम के कुल 19 अभियोगों के माल मुकदमाती 63 लीटर अवैध शराब को प्रभारी निरीक्षक रमाला व आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 बडौत की उपस्थिति में नष्ट किया गया।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनाँक

04.11.2026

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 330/26 धारा 305(ए) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 26,000 रुपये नगद, पीली एवं सफेद धातु के आभूषण व सफेद धातु के सिक्के बरामद।



संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.11.2026 को थाना बिनौली पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादिया के घर से 01 सोनाटा की घड़ी, चांदी की पाजेब व 01 जोडी चांदी की चुटकी चोरी ली गई। इस सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 330/26 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 330/26 धारा 305(ए) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त मोनू पुत्र राजपाल निवासी ग्राम शेखपुरा थाना बिनौली बागपत उम्र करीब 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 26 हजार रुपये नगद , 02 जोडी कान के टोप्स पीली धातु , 01 जोडी कान की बाली पीली धातु, 01 चैन पीली धातु , 01 अंगूठी पीली धातु, 02 नाक की लोंग पीली धातु, 01 नोज पिन पीली धातु, 02 जोडी पाजेब सफेद धातु , 04 जोडी बिछुआ सफेद धातु , 02 सफेद धात के ब्रेसलेट चैन, 05 सफेद धात के सिक्के बरामद हए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बंध में थाना बिनौली जनपद बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.अभियुक्त मोनू पुत्र राजपाल निवासी ग्राम शेखपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- 26 हजार रूपये नगद
- 02 जोडी कान के टोप्स पीली धातु
- 01 जोडी कान की बाली पीली धातु
- 01 चैन पीली धातु
- 01 अंगूठी पीली धातु
- 02 नाक की लोंग पीली धातु
- 01 नोज पिन पीली धातु
- 02 जोडी पाजेब सफेद धातु
- 04 जोडी बिछुआ सफेद धातु
- 02 सफेद धातु के ब्रेसलेट चैन
- 05 सफेद धातु के सिक्के

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
2-उ0नि0 राहुल प्रताप सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
3-है0का0 648 चौब सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
4-रि0का0 147 विनय कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक 04.11.2026

थाना बडौत पुलिस ने थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 758/26 धारा 191(2)/191(3) /190/333/131/115(2)/352/351(3)/109(1) बी.एन.एस. में वांछित चल रहे 01 अभियुक्त को घायलावस्था में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा एवं 01 खोखा कारतूस बरामद ।



संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 31.10.2026 को थाना बड़ौत पर वादी तेजू पुत्र हुक्मी निवासी ग्राम हटाना, थाना बड़ौत, जनपद बागपत द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. दिनेश उर्फ छोटू पुत्र आजाद, 2. मेनपाल पुत्र आजाद, 3. बंटी पुत्र बली, 4. टिंकू पुत्र सीताराम, 5. अमित पुत्र चरना, 6. आजाद पुत्र नगीना, 7. बली पुत्र नगीना, 8. राजू पुत्र बदला, 9. राजन पुत्र सीताराम, 10. अंकित पुत्र गिराज, 11. मनु पुत्र प्रकाश, 12. राजीव उर्फ काला पुत्र अतरा, 13. चरना पुत्र जलाल, समस्त निवासी ग्राम खेड़ा इस्लामपुर, थाना बड़ौत, जनपद बागपत एवं कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एकराय होकर धारदार हथियारों एवं घातक आयुधों से लैस होकर वादी के घर में घुसकर गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गई। उक्त मारपीट में बिहारी पुत्र धुमी, बिल्लू पुत्र फूल सिंह एवं सोनू पुत्र लख्मी सहित कुल 07 व्यक्ति घायल हो गए, जिनमें 02 महिलाएं एवं 01 युवती शामिल हैं। आरोप है कि अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की गई, जिसमें राजकुमार उर्फ काला पुत्र हुक्मी, हरवीर पुत्र रामपाल एवं विक्रम पुत्र चन्द्र को गोली लगने से चोटें आईं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर

थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 758/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/333/131/115(2)/352/109(1)/351(3) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया।

उक्त अभियोग में दिनांक 01.11.2026 को पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों 1. दिनेश उर्फ छोटू पुत्र आजाद एवं 2. मनवीर उर्फ मन्नु पुत्र प्रकाश निवासीगण ग्राम खेड़ा इस्लामपुर, थाना बड़ौत, जनपद बागपत को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण 1. आजाद पुत्र नगीना, 2. राजन पुत्र सीताराम एवं 3. राजीव उर्फ काला पुत्र अत्रा, निवासीगण ग्राम खेड़ा इस्लामपुर, थाना बड़ौत, जनपद बागपत को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के उपरान्त जेल भेज दिया गया है।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, बागपत के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 03.11.2026 को थाना बड़ौत पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त जंगल ग्राम लुहारी में मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त की घेराबंदी की गई। इस दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त घायल हो गया। पुलिस टीम द्वारा घायल अभियुक्त को गिरफ्तार कर तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस एवं 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मैनपाल पुत्र आजाद निवासी खेडा इस्लामपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस एवं 01 खोखा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री वैभव सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।

2.उ0नि0 श्री राज कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
3.है0का0 255 संदीप पंवार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
4.है0का0 787 गौरीशंकर थाना बड़ौत जनपद बागपत।
5.है0का0 738 अरूण पंवार थाना बडौत जनपद बागपत।
6.का0 418 परमजीत सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेसनोट जनपद बागपत दिनाँक 04.11.2026

आगामी पर्वों एवं मेलों को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने हेतु जनपद बागपत में व्यापक पुलिस सुरक्षा व्यवस्था लागू। 05 जोन, 13 सेक्टर एवं 54 सब-सेक्टर में विभाजित कर पुलिस बल की तैनाती, सुरक्षा, यातायात एवं भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष प्रबन्ध।

◆ आगामी पर्वों का आयोजन एवं सुरक्षा व्यवस्था: आगामी दिनों में धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज सहित विभिन्न पर्व मनाए जाएंगे। इन पर्वों के दृष्टिगत जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा सभी पर्वों एवं उनसे संबंधित कार्यक्रमों को सकुशल सम्पन्न कराने के उद्देश्य से दिनांक 06.11.2026 से 11.11.2026 तक जोनल एवं सेक्टर स्कीम लागू की गई है। इस अवधि में धनतेरस दिनांक 06.11.2026, दीपावली दिनांक 08.11.2026, गोवर्धन पूजा दिनांक 10.11.2026 तथा भैया दूज दिनांक 11.11.2026 को मनाई जाएगी।

◆ जनपद का जोन, सेक्टर एवं सब-सेक्टर में विभाजन: सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने एवं पुलिस की सतत निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद को 05 जोन, 13 सेक्टर एवं 54 सब-सेक्टर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन का प्रभारी संबंधित क्षेत्राधिकारी, प्रत्येक सेक्टर का प्रभारी संबंधित थाना प्रभारी तथा प्रत्येक सब-सेक्टर का

प्रभारी चौकी प्रभारी/हल्का उपनिरीक्षक नियुक्त किया गया है। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है, जिससे सभी क्षेत्रों में पुलिस की प्रभावी उपस्थिति एवं निगरानी बनी रहे।

◆ **जोनल स्कीम के अंतर्गत क्षेत्राधिकारियों की जिम्मेदारी:** प्रत्येक क्षेत्राधिकारी को अपने आवंटित जोन में सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था की समग्र जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्षेत्राधिकारी अपने जोन के अंतर्गत आने वाले थानों, सेक्टरों एवं सब-सेक्टरों की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे तथा संबंधित थाना प्रभारियों के साथ समन्वय स्थापित कर निरंतर भ्रमणशील रहेंगे। साथ ही प्रमुख बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों, मेला स्थलों एवं संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर पुलिस प्रबन्धों का पर्यवेक्षण करेंगे। किसी भी अप्रिय घटना अथवा आपात स्थिति में तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

◆ **सेक्टर स्कीम के अंतर्गत थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी:** प्रत्येक थाना प्रभारी को अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित सेक्टर का प्रभारी बनाया गया है। थाना प्रभारी अपने सेक्टर में पुलिस बल की तैनाती, भ्रमणशील ड्यूटी एवं सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे। इसके साथ ही अपने सेक्टर के अंतर्गत आने वाले बाजारों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं मेला क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखेंगे। किसी भी सूचना अथवा घटना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे तथा संबंधित क्षेत्राधिकारी को स्थिति से अवगत कराएंगे।

◆ **सब-सेक्टर व्यवस्था:** प्रत्येक सेक्टर को आगे छोटे-छोटे क्षेत्रों अर्थात सब-सेक्टर में विभाजित किया गया है। कुल **54** सब-सेक्टर बनाए गए हैं, जिनका प्रभारी संबंधित चौकी प्रभारी/हल्का उपनिरीक्षक को नियुक्त किया गया है। सब-सेक्टर प्रभारी अपने निर्धारित क्षेत्र में निरंतर भ्रमणशील रहकर स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखेंगे तथा बाजारों, गलियों, मेला स्थलों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखेंगे। किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे तथा उच्चाधिकारियों को सूचना देंगे।

◆ **जोनल एवं सेक्टर स्कीम की अवधि:** जनपद में लागू की गई यह व्यवस्था धनतेरस दिनांक **06.11.2026** से प्रारम्भ होकर भैया दूज दिनांक **11.11.2026** तक निरंतर प्रभावी रहेगी। इस अवधि में सभी जोनल, सेक्टर एवं सब-सेक्टर प्रभारी अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपने अधीनस्थ पुलिस बल की ड्यूटी एवं उपलब्धता की नियमित निगरानी करेंगे।

◆ **अस्थायी मेला कोतवाली की स्थापना**: मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए भैंड़ी नाथ धाम, सिंहावली अहीर स्थित चकबन्दी देवता मंदिर, बालैनी तथा गुफा मंदिर, बागपत में अस्थायी मेला कोतवाली की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से मेला स्थलों पर पुलिस की प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे किसी भी समस्या अथवा आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

◆ **पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था:** मेला क्षेत्रों में वाहनों के अनावश्यक जमाव एवं यातायात अवरुद्ध होने की समस्या से बचाव हेतु मेला स्थलों से दूर खाली खेतों एवं अन्य उपयुक्त स्थानों को चिन्हित कर पार्किंग की व्यवस्था कराई गई है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम एवं सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रवेश एवं निकास मार्गों तथा प्रमुख मार्गों पर आवश्यक पुलिस प्रबन्ध सुनिश्चित किए गए हैं। संबंधित पुलिसकर्मियों को यातायात व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

◆ **अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन:** सभी मेला स्थलों पर अग्निशमन सेवाओं की तैनाती सुनिश्चित की गई है, ताकि किसी भी अग्निकाण्ड अथवा अन्य आपात स्थिति में तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जा सके। संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत सतर्क रहने तथा किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

◆ **प्रमुख बाजारों एवं चौराहों पर पुलिस ड्यूटी:** जनपद के प्रमुख बाजारों, चौराहों एवं अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सिक्योरिटी प्लान के तहत पुलिस ड्यूटियां लगाई गई हैं। इन स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती कर सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित प्रभारी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस ड्यूटी का नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

◆ **यूपी-112 वाहनों की री-पोजिशनिंग:** व्यस्त मार्गों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की प्रभावी उपस्थिति बनाए रखने तथा आमजन को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूपी-112 वाहनों की री-पोजिशनिंग कराई जा रही है, जिससे किसी भी सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही कर सके।

◆ **पुलिसकर्मियों की शिफ्टवार ड्यूटी एवं थानों पर उपस्थिति:** सुरक्षा व्यवस्था के प्रभावी संचालन एवं पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पुलिसकर्मियों की शिफ्टवार ड्यूटियां निर्धारित की गई हैं। जिस शिफ्ट में जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी निर्धारित नहीं है, उन्हें अपने-अपने थाने एवं चौकियों पर उपस्थित रहकर सतर्कता बनाए रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल ड्यूटी हेतु उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गए हैं।

◆ **जनपद की सीमा से बाहर जाने पर प्रतिबंध:** सभी पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी पुलिसकर्मी जनपद की सीमा से बाहर नहीं जाएगा। यदि कोई पुलिसकर्मी इन निर्देशों का उल्लंघन कर जनपद से बाहर जाता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

◆ **पुलिसकर्मियों के अवकाश बंद:** त्यौहार एवं मेला अवधि के दौरान अधिक से अधिक पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर पुलिसकर्मियों के सभी प्रकार के अवकाश बंद कर दिए गए हैं।

◆ **सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश:** सभी जोनल, सेक्टर एवं सब-सेक्टर प्रभारियों सहित संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहकर सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, सुगम यातायात, भीड़ नियंत्रण एवं अग्निशमन सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसी भी प्रकार की सूचना, अप्रिय घटना अथवा आपात स्थिति प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक वैधानिक एवं निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जनपद बागपत पुलिस द्वारा आगामी पर्वों एवं मेला अवधि के दौरान आमजन एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा, शांति एवं सुविधा सुनिश्चित करने तथा सभी पर्वों, कार्यक्रमों एवं मेलों को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु व्यापक पुलिस प्रबन्ध किए गए हैं। जोनल, सेक्टर एवं सब-सेक्टर स्तर पर जिम्मेदारियां निर्धारित कर पुलिस की सतत निगरानी एवं प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है।

प्रेसनोट जनपद बागपत दिनाँक 04.11.2026

आगामी पर्वों एवं मेलों को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने हेतु जनपद बागपत में व्यापक पुलिस सुरक्षा व्यवस्था लागू। 05 जोन, 13 सेक्टर एवं 54 सब-सेक्टर में विभाजित कर पुलिस बल की तैनाती, सुरक्षा, यातायात एवं भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष प्रबन्ध।

◆ आगामी पर्वों का आयोजन एवं सुरक्षा व्यवस्था: आगामी दिनों में धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज सहित विभिन्न पर्व मनाए जाएंगे। इन पर्वों के दृष्टिगत जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा सभी पर्वों एवं उनसे संबंधित कार्यक्रमों को सकुशल सम्पन्न कराने के उद्देश्य से दिनांक 06.11.2026 से 11.11.2026 तक जोनल एवं सेक्टर स्कीम लागू की गई है। इस अवधि में धनतेरस दिनांक 06.11.2026, दीपावली दिनांक 08.11.2026, गोवर्धन पूजा दिनांक 10.11.2026 तथा भैया दूज दिनांक 11.11.2026 को मनाई जाएगी।

◆ जनपद का जोन, सेक्टर एवं सब-सेक्टर में विभाजन: सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने एवं पुलिस की सतत निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद को 05 जोन, 13 सेक्टर एवं 54 सब-सेक्टर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन का प्रभारी संबंधित क्षेत्राधिकारी, प्रत्येक सेक्टर का प्रभारी संबंधित थाना प्रभारी तथा प्रत्येक सब-सेक्टर का प्रभारी चौकी प्रभारी/हल्का उपनिरीक्षक नियुक्त किया गया है। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है, जिससे सभी क्षेत्रों में पुलिस की प्रभावी उपस्थिति एवं निगरानी बनी रहे।

◆ जोनल स्कीम के अंतर्गत क्षेत्राधिकारियों की जिम्मेदारी: प्रत्येक क्षेत्राधिकारी को अपने आवंटित जोन में सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था की समग्र जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्षेत्राधिकारी अपने जोन के अंतर्गत आने वाले थानों, सेक्टरों एवं सब-सेक्टरों की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे तथा संबंधित थाना प्रभारियों के साथ समन्वय स्थापित कर निरंतर भ्रमणशील रहेंगे। साथ ही प्रमुख बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों, मेला स्थलों एवं

संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर पुलिस प्रबन्धों का पर्यवेक्षण करेंगे। किसी भी अप्रिय घटना अथवा आपात स्थिति में तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

◆ **सेक्टर स्कीम के अंतर्गत थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी:** प्रत्येक थाना प्रभारी को अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित सेक्टर का प्रभारी बनाया गया है। थाना प्रभारी अपने सेक्टर में पुलिस बल की तैनाती, भ्रमणशील ड्यूटी एवं सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे। इसके साथ ही अपने सेक्टर के अंतर्गत आने वाले बाजारों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं मेला क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखेंगे। किसी भी सूचना अथवा घटना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे तथा संबंधित क्षेत्राधिकारी को स्थिति से अवगत कराएंगे।

◆ **सब-सेक्टर व्यवस्था:** प्रत्येक सेक्टर को आगे छोटे-छोटे क्षेत्रों अर्थात सब-सेक्टर में विभाजित किया गया है। कुल **54** सब-सेक्टर बनाए गए हैं, जिनका प्रभारी संबंधित चौकी प्रभारी/हल्का उपनिरीक्षक को नियुक्त किया गया है। सब-सेक्टर प्रभारी अपने निर्धारित क्षेत्र में निरंतर भ्रमणशील रहकर स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखेंगे तथा बाजारों, गलियों, मेला स्थलों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखेंगे। किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे तथा उच्चाधिकारियों को सूचना देंगे।

◆ **जोनल एवं सेक्टर स्कीम की अवधि:** जनपद में लागू की गई यह व्यवस्था धनतेरस दिनांक **06.11.2026** से प्रारम्भ होकर भैया दूज दिनांक **11.11.2026** तक निरंतर प्रभावी रहेगी। इस अवधि में सभी जोनल, सेक्टर एवं सब-सेक्टर प्रभारी अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपने अधीनस्थ पुलिस बल की ड्यूटी एवं उपलब्धता की नियमित निगरानी करेंगे।

◆ **अस्थायी मेला कोतवाली की स्थापना**: मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए भैंड़ी नाथ धाम, सिंहावली अहीर स्थित चकबन्दी देवता मंदिर, बालैनी तथा गुफा मंदिर, बागपत में अस्थायी मेला कोतवाली की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से मेला स्थलों पर पुलिस की प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे किसी भी समस्या अथवा आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

◆ **पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था:** मेला क्षेत्रों में वाहनों के अनावश्यक जमाव एवं यातायात अवरुद्ध होने की समस्या से बचाव हेत मेला स्थलों से दर खाली खेतों एवं अन्य

उपयुक्त स्थानों को चिन्हित कर पार्किंग की व्यवस्था कराई गई है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम एवं सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रवेश एवं निकास मार्गों तथा प्रमुख मार्गों पर आवश्यक पुलिस प्रबन्ध सुनिश्चित किए गए हैं। संबंधित पुलिसकर्मियों को यातायात व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

◆ **अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन:** सभी मेला स्थलों पर अग्निशमन सेवाओं की तैनाती सुनिश्चित की गई है, ताकि किसी भी अग्निकाण्ड अथवा अन्य आपात स्थिति में तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जा सके। संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत सतर्क रहने तथा किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

◆ **प्रमुख बाजारों एवं चौराहों पर पुलिस ड्यूटी:** जनपद के प्रमुख बाजारों, चौराहों एवं अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सिक्योरिटी प्लान के तहत पुलिस ड्यूटियां लगाई गई हैं। इन स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती कर सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित प्रभारी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस ड्यूटी का नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

◆ **यूपी-112 वाहनों की री-पोजिशनिंग:** व्यस्त मार्गों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की प्रभावी उपस्थिति बनाए रखने तथा आमजन को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूपी-112 वाहनों की री-पोजिशनिंग कराई जा रही है, जिससे किसी भी सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही कर सके।

◆ **पुलिसकर्मियों की शिफ्टवार ड्यूटी एवं थानों पर उपस्थिति:** सुरक्षा व्यवस्था के प्रभावी संचालन एवं पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पुलिसकर्मियों की शिफ्टवार ड्यूटियां निर्धारित की गई हैं। जिस शिफ्ट में जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी निर्धारित नहीं है, उन्हें अपने-अपने थाने एवं चौकियों पर उपस्थित रहकर सतर्कता बनाए रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल ड्यूटी हेतु उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गए हैं।

◆ **जनपद की सीमा से बाहर जाने पर प्रतिबंध:** सभी पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी पुलिसकर्मी जनपद की सीमा से बाहर नहीं जाएगा। यदि कोई पुलिसकर्मी इन निर्देशों का उल्लंघन कर जनपद से बाहर जाता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

◆ **पुलिसकर्मियों के अवकाश बंद:** त्यौहार एवं मेला अवधि के दौरान अधिक से अधिक पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर पुलिसकर्मियों के सभी प्रकार के अवकाश बंद कर दिए गए हैं।

◆ **सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश:** सभी जोनल, सेक्टर एवं सब-सेक्टर प्रभारियों सहित संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहकर सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, सुगम यातायात, भीड़ नियंत्रण एवं अग्निशमन सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसी भी प्रकार की सूचना, अप्रिय घटना अथवा आपात स्थिति प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक वैधानिक एवं निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जनपद बागपत पुलिस द्वारा आगामी पर्वों एवं मेला अवधि के दौरान आमजन एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा, शांति एवं सुविधा सुनिश्चित करने तथा सभी पर्वों, कार्यक्रमों एवं मेलों को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु व्यापक पुलिस प्रबन्ध किए गए हैं। जोनल, सेक्टर एवं सब-सेक्टर स्तर पर जिम्मेदारियां निर्धारित कर पुलिस की सतत निगरानी एवं प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है।

उत्तर प्रदेश पुलिस

BAGHPAT POLICE

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 04-11-2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 02 अवैध पटाखा तस्कर को किया गिरफ्तार।



जनपद में आगामी दीपावली पर्व के दृष्टिगत अवैध पटाखों के भंडारण एवं व्यापार की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1. प्रदीप चौहान पुत्र जगदीश चौहान उम्र करीब 30 वर्ष 2. राहुल चौहान पुत्र शिवकुमार चौहान उम्र करीब 35 वर्ष निवासीगण ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से अवैध पटाखों से भरी हुई 04 पेटी गत्ते की बरामद हुई हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बंध में थाना कोतवाली बागपत से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई।

baghpatpolice

BAGHPAT POLICE

थाना रमाला

दिनांक 04-11-2026

थाना रमाला पर आबकारी अधिनियम के कुल 19 अभियोगों के माल मुकदमाती 63 लीटर अवैध शराब को नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में।



दिनांक 04.11.2026 को थाना रमाला पर मा0 न्यायालय के आदेशानुसार वर्ष 2025-26 के आबकारी अधिनियम के कुल 19 अभियोगों के माल मुकदमाती 63 लीटर अवैध शराब को प्रभारी निरीक्षक रमाला व आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 बडौत की उपस्थिति में नष्ट किया गया।

baghpatpolice

BAGHPAT POLICE

थाना दोघट

दिनांक 04-11-2026

थाना दोघट पुलिस ने वांछित 01 अवैध पटाखा तस्कर को किया गिरफ्तार।



जनपद में आगामी दीपावली पर्व के दौरान अवैध पटाखों के भंडारण व व्यापार की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान **मु0अ0स0 347/2026 धारा 5/9(ख) विस्फोटक अधिनियम बीएनएस में** वांछित 01 अभियुक्त मुज्कीर पुत्र शकील निवासी पट्टी शौरा कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 22 वर्ष जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 04 बोरी निर्मित अवैध पटाखे वजन करीब 25 किलोग्राम व प्लास्टिक की 05 बोरी अर्धनिर्मित अवैध पटाखे वजन करीब 30 किलोग्राम बरामद।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

baghpatpolice

प्रेस नोट जनपद बागपत

यातायात माह

दिनाँक 01.11.2026

यातायात माह नवम्बर-2026 का शुभारम्भ, जनपदभर में 30 दिनों तक चलेंगे विशेष जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान, यातायात पुलिस के अतिरिक्त 56 उपनिरीक्षक संभालेंगे यातायात प्रबंधन की कमान, सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि रोकना एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना अभियान का मुख्य उद्देश्य।

आज दिनांक 01 नवम्बर 2026 से यातायात माह नवम्बर-2026 का शुभारम्भ किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में आगामी 30 दिनों तक जनपदभर में प्रतिदिन निर्धारित विषयों एवं विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से आमजन को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा।

यातायात पुलिस के अतिरिक्त श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा विशेष रूप से 56 उपनिरीक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो जनपद के गांव-गांव, गली-गली एवं कस्बों तक पहुंचकर आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करेंगे। इस पहल के माध्यम से यातायात जागरूकता अभियान को जनपदभर में व्यापक स्तर पर संचालित किया जाएगा।

🛑 अभियान के दौरान हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग करने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, नशे की हालत में वाहन न चलाने तथा यातायात संकेतों एवं नियमों का पालन करने के प्रति विशेष रूप से जागरूक किया जाएगा।

📢 बागपत पुलिस की अपील है कि यातायात नियमों का पालन केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपने और अपनों के जीवन की सुरक्षा के लिए करें। स्वयं जागरूक बनें और दूसरों को भी यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित करें।

🚦 यातायात नियम अपनाएं, जीवन सुरक्षित बनाएं।

🙏 सुरक्षित चलें – सुरक्षित रहें।

🗓️ दिनवार जागरूकता एवं प्रवर्तन कार्यक्रम

तिथि	प्रवर्तन कार्यवाही (Enforcement)	जागरूकता एवं शिक्षा कार्यक्रम (Education)
01 नवंबर	काली फिल्म व बिना सीट बेल्ट की सघन चेकिंग, मुख्य चौराहों पर बिना हेलमेट चालान।	बाइक जागरूकता रैली (कोर्ट रोड से महिला थाना); पुलिसकर्मियों को सड़क सुरक्षा शपथ; टेम्पो व रिक्शा चालकों को जागरूक करना।
02 नवंबर	दोपहिया पर तीन सवारी व बिना हेलमेट पर चालान; मॉडिफाइड साइलेंसर/प्रेशर हॉर्न उतरवाना।	विद्यालयों में सड़क सुरक्षा अभियान का प्रारंभ; बस व टेम्पो चालकों को लेन ड्राइविंग के प्रति जागरूक करना।
03 नवंबर	हाईवे/ढाबों पर चेकिंग; चलते समय मोबाइल प्रयोग व मॉडिफाइड साइलेंसर पर कार्रवाई।	ट्रक व भारी वाहनों की संगोष्ठी; निःशुल्क रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाना; रात में डीपर प्रयोग की जानकारी।
04 नवंबर	बिना हेलमेट ई-चालान; ब्रेथ एनालाइजर से शराबियों की चेकिंग; काली फिल्म पर कार्रवाई।	स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से पुलिसकर्मियों का नेत्र व बीपी परीक्षण; स्कूलों में निबंध, चित्रकला प्रतियोगिता व नुक्कड़ नाटक।
05-06 नवंबर	अवयस्क चालकों पर चालान; ऑटो/ई-रिक्शा में ओवरलोडिंग व रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर कार्रवाई।	भैंसा-बुग्गी, ट्रैक्टर-ट्रॉली पर निःशुल्क रिफ्लेक्टिव टेप; पुलिसकर्मियों को फर्स्ट-एड प्रशिक्षण; 'राह वीर' योजना का प्रचार।
07 नवंबर	नो-पार्किंग में खड़े वाहनों पर टो-अवे कार्रवाई; बिना HSRP व जातिसूचक शब्द लिखे वाहनों पर चालान।	NCC/NSS कैडेट्स का प्रशिक्षण व उनके द्वारा सड़क सुरक्षा का प्रचार; परेड के दौरान पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण।
08 नवंबर	बिना हेलमेट/तीन सवारी, मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई।	शहरी व ग्रामीण स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम; बस-टैक्सी चालकों के साथ बैठक व नेत्र परीक्षण।
09-10 नवंबर	अवयस्क चालकों, बिना बीमा, रॉन्ग साइड और मोबाइल प्रयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई।	ऑटो/ई-रिक्शा यूनियनों व ट्रांसपोर्टर्स के साथ गोष्ठी; नुक्कड़ नाटक और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार।
11-12 नवंबर	ई-चालान, हूटर/सायरन व काली फिल्म पर कार्रवाई; बिना लाइसेंस/बीमा चालकों की चेकिंग।	स्कूलों में सड़क सुरक्षा विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता; उत्कृष्ट छात्रों का प्रोत्साहन; NCC/NSS का प्रशिक्षण।

13-15 नवंबर	PUC व तीन सवारी की चेकिंग; मॉडिफाइड साइलेंसर व प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर चालान।	नगर पालिका व PWD के सहयोग से सड़क के गड्ढे भरवाना व ब्लैक स्पॉट सुधार; बाल दिवस पर रैली व जागरूकता।
16-18 नवंबर	बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस व काली फिल्म वाले वाहनों पर चालान व शमन कार्रवाई।	ऑटो/टैक्सी चालकों को हेडलाइट (हाई/लो-बीम) का सही उपयोग सिखाना; अंधे मार्गों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था व स्टैंडों पर जाकर जानकारी देना।
19-21 नवंबर	वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाना; बिना बीमा/लाइसेंस व तीन सवारी की चेकिंग।	पैदल यात्रियों को जेब्रा क्रॉसिंग व सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना; स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता।
22-24 नवंबर	मोबाइल प्रयोग, बिना हेलमेट, काली फिल्म व ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्त चालान।	दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर में चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहन; विद्यार्थियों के माध्यम से अभिभावकों को प्रेरित करना।
25-27 नवंबर	ओवर-स्पीडिंग, स्टंट बाइकिंग, बिना हेलमेट और तीन सवारी पर चालानी कार्रवाई।	युवाओं के साथ सड़क सुरक्षा संवाद; ओवर-स्पीडिंग से दूर रहने की शपथ; पुलिसकर्मियों व चालकों हेतु नेत्र व बीपी परीक्षण शिविर।
28-30 नवंबर	माह के अंतिम दिनों में संपूर्ण जनपद में सघन चेकिंग, बिना सीट बेल्ट व ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्त कार्रवाई।	रोडवेज व कमर्शियल चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग टिप्स; उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों व 'राह वीरों' को सम्मानित करने की तैयारी व समापन समारोह।
तिथि	प्रवर्तन कार्रवाई (Enforcement)	जागरूकता एवं शिक्षा कार्यक्रम (Education)
01 नवंबर	काली फिल्म व बिना सीट बेल्ट की सघन चेकिंग, मुख्य चौराहों पर बिना हेलमेट चालान।	बाइक जागरूकता रैली (कोर्ट रोड से महिला थाना); पुलिसकर्मियों को सड़क सुरक्षा शपथ; टेम्पो व रिक्शा चालकों को जागरूक करना।
02 नवंबर	दोपहिया पर तीन सवारी व बिना हेलमेट पर चालान; मॉडिफाइड साइलेंसर/प्रेशर हॉर्न उतरवाना।	विद्यालयों में सड़क सुरक्षा अभियान का प्रारंभ; बस व टेम्पो चालकों को लेन ड्राइविंग के प्रति जागरूक करना।
03 नवंबर	हाईवे/ढाबों पर चेकिंग; चलते समय मोबाइल प्रयोग व मॉडिफाइड साइलेंसर पर कार्रवाई।	ट्रक व भारी वाहनों की संगोष्ठी; निःशुल्क रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाना; रात में डीपर प्रयोग की जानकारी।
04 नवंबर	बिना हेलमेट ई-चालान; ब्रेथ एनालाइजर से शराबियों की चेकिंग; काली फिल्म पर कार्रवाई।	स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से पुलिसकर्मियों का नेत्र व बीपी परीक्षण; स्कूलों में निबंध, चित्रकला प्रतियोगिता व नुक्कड़ नाटक।
05-06 नवंबर	अवयस्क चालकों पर चालान; ऑटो/ई-रिक्शा में ओवरलोडिंग व रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर कार्रवाई।	भैंसा-बुग्गी, ट्रैक्टर-ट्रॉली पर निःशुल्क रिफ्लेक्टिव टेप; पुलिसकर्मियों को फर्स्ट-एड प्रशिक्षण; 'राह वीर' योजना का प्रचार।
07 नवंबर	नो-पार्किंग में खड़े वाहनों पर टो-अवे कार्रवाई; बिना HSRP व जातिसूचक शब्द लिखे वाहनों पर चालान।	NCC/NSS कैडेट्स का प्रशिक्षण व उनके द्वारा सड़क सुरक्षा का प्रचार; परेड के दौरान पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण।
08 नवंबर	बिना हेलमेट/तीन सवारी, मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई।	शहरी व ग्रामीण स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम; बस-टैक्सी चालकों के साथ बैठक व नेत्र परीक्षण।

09-10 नवंबर	अवयस्क चालकों, बिना बीमा, रॉन्ग साइड और मोबाइल प्रयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई।	ऑटो/ई-रिक्शा यूनियनों व ट्रांसपोर्टर्स के साथ गोष्ठी; नुक्कड़ नाटक और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार।
11-12 नवंबर	ई-चालान, हूटर/सायरन व काली फिल्म पर कार्रवाई; बिना लाइसेंस/बीमा चालकों की चेकिंग।	स्कूलों में सड़क सुरक्षा विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता; उत्कृष्ट छात्रों का प्रोत्साहन; NCC/NSS का प्रशिक्षण।
13-15 नवंबर	PUC व तीन सवारी की चेकिंग; मॉडिफाइड साइलेंसर व प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर चालान।	नगर पालिका व PWD के सहयोग से सड़क के गड्ढे भरवाना व ब्लैक स्पॉट सुधार; बाल दिवस पर रैली व जागरूकता।
16-18 नवंबर	बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस व काली फिल्म वाले वाहनों पर चालान व शमन कार्रवाई।	ऑटो/टैक्सी चालकों को हेडलाइट (हाई/लो-बीम) का सही उपयोग सिखाना; अंधे मार्गों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था व स्टैंडों पर जाकर जानकारी देना।
19-21 नवंबर	वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाना; बिना बीमा/लाइसेंस व तीन सवारी की चेकिंग।	पैदल यात्रियों को जेब्रा क्रॉसिंग व सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना; स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता।
22-24 नवंबर	मोबाइल प्रयोग, बिना हेलमेट, काली फिल्म व ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्त चालान।	दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर में चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहन; विद्यार्थियों के माध्यम से अभिभावकों को प्रेरित करना।
25-27 नवंबर	ओवर-स्पीडिंग, स्टंट बाइकिंग, बिना हेलमेट और तीन सवारी पर चालानी कार्रवाई।	युवाओं के साथ सड़क सुरक्षा संवाद; ओवर-स्पीडिंग से दूर रहने की शपथ; पुलिसकर्मियों व चालकों हेतु नेत्र व बीपी परीक्षण शिविर।
28-30 नवंबर	माह के अंतिम दिनों में संपूर्ण जनपद में सघन चेकिंग, बिना सीट बेल्ट व ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्त कार्रवाई।	रोडवेज व कमर्शियल चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग टिप्स; उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों व 'राह वीरों' को सम्मानित करने की तैयारी व समापन समारोह।

BAGHPAT POLICE

थाना रमाला

दिनांक 04-11-2026

थाना रमाला पुलिस ने 01 अवैध पटाखा तस्कर को किया गिरफ्तार।



जनपद में आगामी दीपावली पर्व के दौरान अवैध पटाखों के भंडारण व व्यापार की रोकथाम चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त परवेज आलम पुत्र स्व0 मौ0 उमर नि0 मैन चौराहा तकिया मस्जिद के पास असारा थाना रमाला जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से अवैध शोरा (रासायनिक पदार्थ) लगभग 10 किलोग्राम, दो कट्टे अवैध पटाखे, एल्युमीनियम कतरन वजन लगभग 03 किग्रा, कोयला पाउडर वजन लगभग 4.5 किग्रा, इलेक्ट्रोनिक कांटा, हथौडी, कागज व एक बंडल बरामद।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बंध में थाना रमाला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

baghpatpolice

प्रेसनोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनाँक 04.11.2026

एसटीएफ टीम मेरठ ने थाना दोघट के मु0अ0सं0 164/26 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 50,000 रूपये के ईनामिया अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-



दिनांक 31.05.2026 को थाना दोघट पर वादी थानाध्यक्ष दोघट श्री केवल सिंह की सूचना व अनुमोदितशुदा गैंगचार्ट के आधार पर मु0अ0सं0 164/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम अरविन्द उर्फ गुड्डा आदि 13 नफर अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

दिनांक 03.11.2026 को एसटीएफ टीम मेरठ को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना दोघट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 164/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 50 हजार रूपये का ईनामी अभियुक्त अरबाज कस्बा मुरादनगर में काफी समय से रह रहा है तथा गुलावठी होते हुए बराल रेलवे स्टेशन से ट्रेन द्वारा कहीं अन्यत्र जाने की फिराक में है। उक्त सूचना से उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए एसटीएफ टीम मेरठ द्वारा मय हमराही पुलिस बल तत्काल बराल रेलवे स्टेशन पहुंचकर आवश्यक घेराबंदी की गई। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर पत्थर की बेंच पर बैठे एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर जामा तलाशी एवं पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना नाम अरबाज पुत्र उम्मेद निवासी जाकिर कॉलोनी, काला आम, गली नं0 34, थाना लिसाड़ी गेट, जनपद मेरठ, उम्र करीब 26 वर्ष बताया। तत्पश्चात एसटीएफ टीम मेरठ द्वारा अभियुक्त अरबाज उपरोक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-अरबाज पुत्र उम्मेद निवासी जाकिर कॉलोनी काला आम गली नं0 34 थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ उम्र करीब 26 वर्ष।

नोट- अभियुक्त अरबाज उपरोक्त की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र मेरठ द्वारा 50,000 रूपये का इनाम घोषित किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0 52/24 धारा 379/427/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।

2-मु0अ0स0 164/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 संजय कुमार तैनाती एसटीएफ मेरठ।

2-है0का0 जोशी कुमार तैनाती एसटीएफ मेरठ।

3-है0का0 आकाशदीप तैनाती एसटीएफ मेरठ।

4-है0का0 सितम सिंह तैनाती एसटीएफ मेरठ।

5-है0का0 विनय कुमार तैनाती एसटीएफ मेरठ।